

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 421] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 11, 1978/भाद्र 20, 1900
No. 421] NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 11, 1978/BHADRA 20, 1900

इस भाग में निम्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके।

Separate paging is given to this part in order that it may be filed
as a separate compilation.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 11 सितम्बर, 1978

का०आ० 552(अ).—केन्द्रीय सरकार, तस्कर और विदेशी मुद्रा छल-साधक (सम्पत्ति समग्रहण)
अधिनियम, 1978 (1976 का 13) की धारा 27 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा
5 द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और
भौमा विभाग) के आदेश सं० का० आ० 41(अ०) [सं० 1205/का०सं० 414/2/76 आ०का० (वि०)],
तारीख 15 जनवरी, 1976 में निम्नलिखित संशोधन और करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिनियम की नीचे की सारणी में, अम सं० 1 के सामने स्तम्भ (2) में “श्री ए०
जे० विसूजा” शब्दों और अक्षरों के स्थान पर “श्री एन० सुकमण्यन” शब्द और अक्षर रखे जाएंगे।

[सं० 5/का०सं० प्रशा० (17)/78-सफेमा]

एन० पी० अट्ट, उप-सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

ORDER

New Delhi, the 11th September, 1978

S.O. 552(E).—In exercise of the powers conferred by section 5, read with sub-section (2) of section 27 of the Smugglers and Foreign Exchange Manipulators (Forfeiture of Property) Act, 1976 (13 of 1976), the Central Government hereby makes the following further amendment in the Order of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. S.O. 41(E) [No. 1205/F. No. 414/2/76-IT(Inv)] dated the 15th January, 1976, namely :—

In the Table below the said notification, in column (2), against Serial No. 1 for the words and letters "Shri A.J. D'Souza", the words and letters "Shri N. Subramanian" shall be substituted.

[No. 5/F. No. Admn.(17)/78-Safema]

N. P. BHAT, Dy. Secy.